is to suggest an umbrella legislation for ensuring the minimum level of protection to the workers in the Unorganised Sector.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

1324. **डा० अरूण कुमार शर्मा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है और उपरोक्त संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है,

(ख) क्या सरकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यानारायण जटिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 54 व्यावसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

विश्व बैंक सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के शामिल किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 22 है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इन संस्थानों को 351.82 लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

महिलाओं हेतु क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (क्षे०व्या०प्र०सं०) को क्षेत्र अर्थात् जिस राज्य में यह स्थापित किए गए हैं या निकटवर्ती राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बनाया एवं स्थापित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाओं हेतु एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है तथा यह 1986 से तुरा, मेघालय में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं हेतु एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता में भी कार्य कर रहा है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में 13 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना (100% केन्द्रीय सहायता) प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन योजना आयोग तथा वित्त से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन है।

श्रम कानूनों की समीक्षा

1325. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान श्रम कानून आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार देश में बढ़ते हुए औद्योगिक विवादों और औद्योगिक विकास में होती हुई वृद्धि को देखते हुए उक्त कानूनों की समीक्षा करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समीक्षा कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यानारायण जटिया): (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा तथा उन्हें अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस समीक्षा के परिणाम के आधार पर इन विधानों में संशोधन किए जाते हैं/नए विधान बनाए जाते हैं। श्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं का निराकरण करने के लिए समय-समय पर अनेक श्रम कानूनों का अधिनियमन किया गया है तथा इन कानूनों के दायरे के भीतर संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा व्यवसाय संघों के अधिकार, कार्य शर्तें; न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंध, उत्प्रवासी कर्मकार, बालकों का नियोजन आदि सहित अनेक विषयों को सम्मिलित किया जाता है। श्रम कानूनों की विस्तृत समीक्षा की जरूरत संदेव रही है ताकि आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में हो रहे विस्तृत परिवर्तनों के साथ श्रम कानूनों का सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके तथा कर्मकारों के बेहतर कल्याण की व्यवस्था भी की जा सके। सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है। यह आयोग भी श्रम कानूनों की समीक्षा करेगा तथा संगठित क्षेत्र से संबंधित मौजूदा कानूनों को योक्तिकीकृत करने तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक सर्वव्यापी विधान बनाए जाने के संबंध में सुझाव देगा।